



## AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



### प्रेसनोट थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

दिनांक 29.05.2022

**थाना एत्माददौला पुलिस टीम द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2022 की मतगणना से पूर्व उपद्रव करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए निर्वाचन सम्बन्धी कागजात को गाड़ी से निकाल कर फेंकने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार....**

दिनांक 09.03.2022 को थाना एत्माददौला क्षेत्रान्तर्गत मण्डी समिति स्ट्रांग रूम पर रखे ईवीएम एवं दिनांक 10.03.2022 को होने वाली विधानसभा निर्वाचन 2022 की मतगणना के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल तैनात था। मण्डी समिति पर समाजवादी गठबन्धन पार्टी के कार्यकर्ता राजकुमार, सुनील, कुवर रवि, राजा, सुनील, सन्जू आदि सहित कुल 80–90 लोग मत पेटियों को बदलने की झूठी अफवाह फैलाने लगे। सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक एत्माददौला उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए मय पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे एवं समझाने का प्रयास किया गया किन्तु वो नहीं माने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिससे पुलिस बल के चोटें आयी व अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। ईवीएम की निगरानी की बात करते हुए मण्डी समिति पर आने जाने वाली समस्त सरकारी कार्य में लगी समस्त सरकारी/प्राइवेट गाड़ियों को जबरदस्ती रोककर डिग्गी खोलकर तलाशी लेने लगे एवं इस दौरान निर्वाचन कार्यालय आगरा के निर्वाचन अधिकारी की गाड़ी को रोककर जबरदस्ती तलाशी लेने लगे व गाड़ी में रखे निर्वाचन सम्बन्धी कागजात सड़क पर फेंक दिये। मण्डी समिति पर बल्ली द्वारा बैरिकटिंग का कार्य करने वाली गाड़ी को जबरदस्ती रोककर उसके साथ गाली गलौच करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगे तथा रोड पर बैठकर मार्ग बाधित कर दिया, जिससे मण्डी समिति पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों में अफरा—तफरी का माहौल बन गया। कुछ समय बाद शांति व्यवस्था भंग होते देख, शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं सुरक्षा व्यवस्था देखने आये श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा की गाड़ी जबरदस्ती रुकवाकर खिड़की खोलकर सामान फेंकने लगे व डिग्गी खोलने लगे और समझाने पर उग्र हो गये। इस सम्बन्ध में थाना एत्माददौला पर मु0अ0स0 145/22 धारा 147/148/149/332/353/323/504/506/341/188 भादवि व 07 आपराधिक कानून (संशोधन) अधि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एत्माददौला को आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 29.05.2022 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र की जा रही गश्त एवं चैकिंग के दौरान मुख्य द्वारा सूचना दी गयी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त

टेडी बगिया पर अम्बेडकर मूर्ति के पास हाथरस रोड पर खड़ा है, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :—

01. सुरेश दिवाकर पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी सुदामापुरी नरायच थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

## आपराधिक इतिहास :—

01. मु0अ0सं0 145 / 22 धारा 147 / 148 / 149 / 332 / 353 / 323 / 504 / 506 / 341 / 188 भादवि व 07 आपराधिक कानून (संशोधन) अधि0 थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

## पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सहदेव शर्मा थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

02. उ0नि0 रमित कुमार आर्य थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

03. है0का0 सुरेशचन्द्र थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

04. का0 पवन कुमार यादव व का0 सौरभ कुमार थाना एत्माददौला जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।